

**न्यायालय :- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)  
(पीठासीन अधिकारी:-सिराज अली)**

व्यवहार वाद क्रमांक-11ए/2013

संस्थापन दिनांक-05.02.2013

बिरझूसिंह पिता शोभासिंह, उम्र 60 वर्ष, जाति गोंड  
निवासी-छपला, तहसील बिरसा, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — वादी

**विरुद्ध**

1-मोहपालसिंह पिता बिरझूसिंह, उम्र 50 वर्ष, जाति गोंड,  
निवासी-कबराटोला मण्डई, तहसील बिरसा, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-यमनसिंह पिता बिरझूसिंह, उम्र 43 वर्ष, जाति गोंड,  
निवासी-वार्ड नं. 7 बैहर, तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

3-म.प्र.शासन तर्फे कलेक्टर,  
तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.)

4-श्रीमति सुशीला मेरावी पति सुक्कलसिंह, उम्र 45, जाति गोंड  
निवासी-राम्हेपुर, तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)  
हाल मुकाम-पूर्व क्षेत्र पुलिस कालोनी राजनांदगांव (छ.ग.)

5-श्रीमति उर्मिला तिलगाम पति किशनसिंह, उम्र 43, जाति गोंड  
निवासी-झलमला, तहसील बोड़ला, जिला कबीरधाम (छ.ग.)

6-श्रीमति संगीता मर्सकोले पति संतोष, उम्र 37, जाति गोंड  
निवासी-मोहगांव बम्हनी, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

7-श्रीमति सुनीता परते पति भरत, उम्र 32, जाति गोंड  
निवासी-लिंगा, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — प्रतिवादीगण

—: / / निर्णय / / :—

(आज दिनांक-30/08/2014 को घोषित)

1— वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह व्यवहार वाद मौजा छपला, प.ह.नं. 46, रा.नि.मं. व तहसील बिरसा, जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 18, 28/1 रकबा कमशः 9.55, 5.35 एकड़ भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1, 2 व 4 से 7 को प्रत्येक को 1/7 अंश का स्वत्व प्राप्त होने एवं पारिवारिक व्यवस्था पत्र अवैध होने से किया गया संशोधन दिनांक-10.06.1993 अबंधनकारी होने की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया है।

2— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी क्रमांक-1, 2 एवं 4 से 7 वादी के कमशः पुत्रगण एवं पुत्रीगण है।

3— वादी के अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के पिता शोभा के नाम पर उक्त विवादित भूमि राजस्व प्रलेख में दर्ज थी। शोभा एवं उसकी पत्नि बसंताबाई की फौत उपरांत उक्त सम्पत्ति वादी के नाम पर दर्ज हुई। वादी के दो पुत्र तथा चार पुत्रियाँ प्रतिवादी क्रमांक-1, 2 एवं 4 से 7 है। प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 वादी से अलग निवास कर रहे हैं तथा पुत्रीगण विवाहित होने के पश्चात् अपने ससुराल में निवासरत् है। वादी विवादित भूमि पर स्वयं काबिज काशत होकर अपना भरण-पोषण कर रहा है, जिसमें उसके पुत्रों का कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता है। प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 ने वादी की सहमति एवं जानकारी के बगैर वादी व अन्य वारसानों का हक नष्ट करने के उद्देश्य से विवादित भूमि के खसरा नम्बर 18 में से 4.65 एकड़ भूमि मोहपाल को तथा 4.90 एकड़ भूमि यमनसिंह के नाम पर 10/-रुपये के स्टाम्प पर पारिवारिक व्यवस्था पत्र की कूटरचित तहरीर बनाकर राजस्व अभिलेख में दिनांक-10.06.1993 को संशोधन पंजी क्रमांक-5 दर्ज करवा लिया। वादी ने अपने जीवनकाल में अपने पुत्र एवं पुत्रियों के बीच भूमि का बंटवारा किये जाने हेतु तहसील बिरसा के समक्ष आवेदन पेश किया, तब दिनांक-03.05.2012 को राजस्व अभिलेख की नकल प्राप्त होने पर उसे उक्त तथ्य की जानकारी हुई। विवादित भूमि पर वादी व उसके

सभी संतान का समान हक होकर प्रत्येक को 1/7 अंश प्राप्त है। वादी ने विवादित भूमि पर उसे एवं प्रतिवादी क्रमांक-1, 2 व 4 से 7, प्रत्येक को 1/7 अंश का स्वत्व प्राप्त होने एवं पारिवारिक व्यवस्था पत्र अवैध होने से किया गया संशोधन दिनांक-10.06.1993 अबंधनकारी होने की घोषणा का अनुतोष चाहा है।

4— प्रतिवादी क्रमांक-1 ने स्वीकृत तथ्य को छोड़कर वादपत्र के सम्पूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए अभिवचन किया है कि विवादित भूमि का वादी ने वर्ष 1993 में दोनों पुत्रों के मध्य बंटवारा कर दिया था, जिसमें प्रतिवादी क्रमांक-1 को 4.65 एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी। वादी उक्त पारिवारिक व्यवस्था से मुकर नहीं सकता, इस कारण दिनांक-10.06.1993 का संशोधन वादी पर बंधनकारी है। प्रतिवादी क्रमांक-1 बंटवारा के पश्चात् से ही लगभग 20 वर्ष से उसके हिस्से पर काबिज काशत है। वादी ने प्रतिवादी क्रमांक-2 से मिलकर उसकी भूमि को हड़पने के आशय से यह दावा पेश किया है। अतएव वादी का वाद सव्यय निरस्त किया जावे।

5— प्रतिवादी क्रमांक-2, 4 से 7 ने वादी के अभिवचन स्वीकार करते हुए जवाबदावा में अभिवचन किया है कि उनके पिता अर्थात् वादी ने विवादित भूमि का अपने जीवनकाल में कोई बंटवारा नहीं किया है।

6— प्रतिवादी क्रमांक-3 प्रकरण में एकपक्षीय है तथा उसकी ओर से जवाबदावा पेश नहीं किया गया है।

7— उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित है :-

क्रं.	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या मौजा छपला, प.ह.नं. 46, रा.नि.मं. एवं तहसील बिरसा में स्थित खसरा नम्बर 18, 28/1 रकबा क्रमशः 9.55, 5.35 एकड़ भूमि कुल रकबा 14.95 एकड़ भूमि पर वादी, प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 एवं 4 से 7 प्रत्येक को 1/7 अंश का स्वत्व प्राप्त है ?	अंशतः प्रमाणित, वादी का केवल खसरा नम्बर 28/1, रकबा 5.35 एकड़ भूमि पर स्वत्व है।

2	क्या विवादित भूमि के संबंध में किया गया पारिवारिक व्यवस्था पत्र अवैध होने से राजस्व अभिलेख में किया गया संशोधन क्रमांक-5, दिनांक-10.06.1993 वादी पर बंधनकारी नहीं है ?	'प्रमाणित नहीं'
3	क्या वाद समयावधि बाह्य है ?	विवादित भूमि के खसरा नम्बर 18 रकबा 9.55 एकड़ भूमि के संबंध में वादी का स्वत्व का वाद समयावधि के बाह्य है।
4	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अंतिम कंडिका अनुसार

### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

#### वादप्रश्न क्रमांक-1 से 3 का निराकरण

6— उक्त तीनों वादप्रश्न का निराकरण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। यह साबित करने का भार वादी पर है कि विवादित भूमि का बंटवारा या पारिवारिक व्यवस्था पत्र अवैध होने से राजस्व अभिलेख में दर्ज संशोधन पंजी क्रमांक-5 दिनांक-10.06.1993 वादी पर बंधनकारी नहीं है। वादी ने अपने पक्ष समर्थन में वादी के पिता शोभासिंह के फौत होने के पश्चात् उसके नाम पर दर्ज संशोधन पंजी क्रमांक-2, दिनांक-09.02.1974 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-3 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विवादित भूमि के खसरा नम्बर 18, रकबा 9.55 एकड़ भूमि वादी को उसके पिता से प्राप्त हुई थी। पांच साला खसरा वर्ष 2006-07 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-4 व किस्तबंदी खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-5 के अनुसार खसरा नम्बर 28/1, रकबा 2.153 हेक्टेयर भूमि वादी के नाम पर दर्ज है। विवादित भूमि का पांच साला खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-2 पेश किया है, जिसके अवलोकन से प्रकट होता है कि विवादित भूमि के खसरा नम्बर 18/1, रकबा 1.873 हेक्टेयर भूमि पर मोहपालसिंह, खसरा नम्बर 18/2, रकबा 1.930 हेक्टेयर भूमि पर यमनलाल, खसरा नम्बर 28/1, रकबा 2.153 हेक्टेयर भूमि पर बिरझू का नाम दर्ज है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि विवादित भूमि के मूल खसरा नम्बर 18, रकबा 9.55 एकड़ भूमि वादी को उसके पिता शोभा से वारसान हक में प्राप्त हुई थी।

7— वादी की ओर से प्रस्तुत संशोधन पंजी क्रमांक-5, दिनांक-10.06.1993 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-6 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी ने अपने पुत्र मोहपाल एवं यमन को खसरा नम्बर 18 में से क्रमशः रकबा 4.65 एवं 4.90 एकड़ भूमि पारिवारिक व्यवस्था पत्र के अनुसार प्रदान की थी, जिसकी उक्त संशोधन पंजी में प्रविष्टि की गई है। इसके अलावा वादी ने संशोधन पंजी दिनांक-09.02.1974 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-7 पांच साला खसरा वर्ष 1991-92 से 1994-95 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-8 पेश की है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि वादी बिरझू ने वारसान हक में प्राप्त विवादित भूमि के खसरा नम्बर 18 की भूमि को उसके पुत्रगण प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 को पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार विभाजित कर दी थी। जबकि विवादित भूमि के खसरा नम्बर 28/1, रकबा 5.35 एकड़ भूमि वर्तमान में वादी के नाम पर दर्ज होना प्रकट होती है।

8— वादी बिरझूसिंह (वा.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभिवचन के अनुरूप कथन किया है तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम दर्ज हुआ तब से उन लोगों ने पट्टा उसके पास रखा हुआ है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उक्त पट्टा में प्रतिवादीगण का नाम लगभग 15 साल पूर्व से दर्ज होने की उसे जानकारी है। साक्षी का आगे यह भी कथन है कि उस समय उसके दोनों पुत्रों से अच्छे संबंध थे, इस कारण उसने वाद पेश नहीं किया। साक्षी का स्वतः कथन है कि पुत्रियों की आपत्ति पेश करने के कारण उसने वाद पेश किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने स्वयं विवादित भूमि का बंटवारा करके दिया था, इसलिए वाद पेश नहीं किया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उक्त बंटवारा परिवार में सबकी सहमति से किया था, जिसमें पुत्रियों का नाम नहीं लिखाया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने पुत्रों के बीच वर्ष 1993 में बंटवारा कर दिया था तथा प्रतिवादी क्रमांक-1 उसके हिस्से की भूमि पर काबिज काशत है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके छोटे पुत्र यमनसिंह के घर उसका आना-जाना होता है और उनके बीच भूमि के बंटवारा का कोई विवाद नहीं है।

9— वादी ने समर्थन में लोकसिंह (वा.सा.2), सम्हारूसिंह (वा.सा.3) की साक्ष्य करायी है, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में वादी का समर्थन करते हुए कथन किया है। लोकसिंह (वा.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि लगभग 15 वर्ष से अधिक समय से प्रतिवादी क्रमांक-1 अलग रहकर



अपनी भूमि पर खेती करता है। सम्हारुसिंह (वा.सा.3) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसे पटवारी होने के कारण जमीन के नापजोक का ज्ञान है तथा जिस समय वादी ने प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 को जमीन का बंटवारा किया था, उस समय उसने ही रस्सी से दो भागों में बांटा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उक्त बंटवारा को 15-20 साल हो चुके हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि बंटवारा के समय बसताबाई ने कोई आपत्ति नहीं की थी क्योंकि पूरे परिवार की सहमति थी। इस प्रकार वादी साक्षीगण की साक्ष्य से ही यह प्रमाणित है कि वादी के द्वारा अपने पुत्रों प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 के मध्य स्वयं तथा पूरे परिवार की सहमति से बंटवारा किया गया था, जिसके पश्चात् बंटवारा अनुसार प्रतिवादी क्रमांक-1 अपनी भूमि पर काबिज काशत है।

10— प्रतिवादी मोहपाल (प्र.सा.1) ने अपने अभिवचन के अनुरूप मुख्य परीक्षण में कथन किया है तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि उनकी खानदानी भूमि थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके पास बंटवारे का दस्तावेज नहीं है। साक्षी का स्वतः कथन है कि उसके पिता ने बंटवारे की कार्यवाही करवायी थी। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन वादी पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी अपने कथन में स्थिर रहा है कि उसने वादी से वर्ष 1993 में बंटवारा के माध्यम से विवादित भूमि के खसरा नम्बर 18 रकबा 4.65 एकड़ भूमि प्राप्त की थी, जिस पर वह काबिज काशत चले आ रहा है।

11— प्रतिवादी क्रमांक-1 का वर्ष 1993 से विभाजन में प्राप्त 4.65 एकड़ भूमि पर काबिज काशत होने का समर्थन धूपलाल (प्र.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में किया है, जिसका खण्डन उसके प्रतिपरीक्षण में वादी पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वतः कथन किया है कि उनके समाज में पिता की इच्छा पर सम्पत्ति बच्चों को देना या न देना निर्भर करता है। इसी प्रकार साक्षी रूपसिंह (प्र.सा.3) ने भी प्रतिवादी क्रमांक-1 के अभिवचन का समर्थन अपनी साक्ष्य में किया है तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त बंटवारा के पहले मोहपाल और यमन का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं था तथा बंटवारा के बाद उनका नाम दर्ज हुआ।

12— प्रकरण में वादी के अभिवचन को प्रतिवादी क्रमांक-1 को छोड़कर वादी की शेष संतान प्रतिवादी क्रमांक-2 तथा 4 से 7 ने स्वीकार किया है तथा विवादित भूमि पर स्वयं के स्वत्व प्राप्त होने का प्रतिदावा नहीं किया है। उभयपक्ष

के अभिवचन से यह भी ज्ञात नहीं होता है कि विवादित भूमि उनकी सहदायिक सम्पत्ति है। यदि तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि सम्पूर्ण विवादित भूमि वादी को उसके पिता से प्राप्त हुयी थी, तब भी सहदायिकी के अस्तित्व के अभाव में विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति होने के बावजूद वादी ने उक्त सम्पत्ति को स्वअर्जित सम्पत्ति के रूप में धारित किया, जिस पर वादी के जीवनकाल में उसकी संतानों को स्वत्व प्राप्त नहीं हो सकता है।

13— प्रकरण में प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य एवं तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार वादी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक—1 व 2 को विभाजन में दी गई भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक—1 व 2 अपने अंश पर लगभग 20 वर्ष से काबिज काश्त है, इस कारण उभयपक्ष पर उक्त विभाजन के संदर्भ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा—115 के प्रावधान अंतर्गत विबंध का सिद्धांत लागू होता है। उभयपक्ष उक्त विभाजन के अनुसार लम्बे समय से विभाजन में प्राप्त भूमियों पर काबिज काश्त होने एवं उसे चुनौती नहीं दिये जाने के कारण उभयपक्ष पर उक्त पारिवारिक व्यवस्थापन बंधनकारी है। इस प्रकार वादी अपने कार्य एवं आचरण से विभाजन के कथित त्रुटिपूर्ण अथवा कूटरचित होने के अभिवचन एवं कथन करने से विबंधित है।

14— वादी ने वाद प्रस्तुति का कारण दिनांक—03.05.2012 को उस समय उत्पन्न होना प्रकट किया है, जब उसे विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख की नकल प्राप्त हुई, जबकि स्वयं वादी बिरझूसिंह (वा.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 10 में यह स्वीकार किया है कि जिस समय विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम दर्ज हुआ उस समय से उन लोगों का पट्टा उसके पास रखा हुआ है और उक्त पट्टे की जानकारी उस समय से है। इस प्रकार वादी ने स्वयं उसके पुत्रों के मध्य पारिवारिक व्यवस्थापन के अंतर्गत अपनी भूमि का बंटवारा वर्ष 1993 में कर दिया और उसी समय से उक्त तथ्य की उसे भली-भांति जानकारी रही है। वादी ने वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए असत्य आधार पर यह वाद पेश किया है। वादी ने वाद में कथित पारिवारिक व्यवस्था पत्र को प्रकरण में पेश नहीं किया है और न उक्त दस्तावेज की कथित कूटरचना के तथ्य को प्रमाणित नहीं किया है।

15— वादी ने कथित कूटरचित पारिवारिक व्यवस्था पत्र के आधार पर दर्ज की गयी संशोधन क्रमांक—5, दिनांक—10.06.1993 को प्रभावशून्य कराने का अनुतोष चाहा है। परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 59 के अन्तर्गत लिखित या

आज्ञप्ति को निरस्त करने के लिए वाद, उक्त तथ्य जो लिखित या आज्ञप्ति को निरस्त कराने के लिए वादी को हकदार करते हैं, उसे ज्ञात होने से तीन वर्ष के भीतर पेश किये जाने की परिसीमा अनुज्ञात की गयी है। वादी के द्वारा वादपत्र में प्रस्तुत कथित वाद कारण काल्पनिक रूप से पेश किया गया है तथा वादी को भूमि का वर्ष 1993 में ही बंटवारा होने की जानकारी से लगभग 20 वर्ष उपरांत यह वाद विहित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत पेश किया गया है। इस कारण विवादित भूमि के खसरा नम्बर 18 रकबा 9.55 एकड़ भूमि के संबंध में वादी का कथित कूटरचित पारिवारिक व्यवस्थापन होने एवं उसके आधार पर संशोधन पंजी क्रमांक-5, दिनांक-10.06.1993 को अवैध एवं प्रभावशून्य होने का वाद समयावधि के बाह्य पेश होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

16— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी ने विवादित भूमि के खसरा नम्बर 18 रकबा 9.55 एकड़ भूमि के कथित कूटरचित पारिवारिक व्यवस्थापन एवं संशोधन पंजी क्रमांक-5, दिनांक-10.06.1993 को अवैध एवं प्रभावशून्य होने का दावा प्रमाणित नहीं किया है। प्रकरण में विवादित भूमि के खसरा नम्बर 28/1, रकबा 5.35 एकड़ भूमि वादी के पिता से वारसान हक में प्राप्त होने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य का अभाव है। उभयपक्ष के अभिवचन एवं प्रस्तुत साक्ष्य के आधार विवादित भूमि के खसरा नम्बर 28/1, रकबा 5.35 एकड़ भूमि वादी बिरझू के नाम पर दर्ज रही है, जिस पर सहदायिक सम्पत्ति होने के आधार पर स्वत्व का दावा किसी भी पक्ष के द्वारा नहीं किया गया है। ऐसी दशा में उक्त खसरा नम्बर 28/1, रकबा 5.35 एकड़ भूमि वादी की स्वअर्जित सम्पत्ति होने की उपधारणा की जा सकती है। वादी की उक्त स्वअर्जित सम्पत्ति पर उसके जीवनकाल में उसकी संतानों को कोई हक प्राप्त नहीं हो सकता। इस कारण विवादित भूमि के खसरा नम्बर 28/1, रकबा 5.35 एकड़ भूमि पर वादी का एकमात्र स्वत्व होना प्रकट होता है तथा वादी के साथ प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 एवं प्रतिवादी क्रमांक-4 से 7 को उक्त भूमि पर स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार वादी ने अपना वाद अंशतः प्रमाणित किया है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक-1 'अंशतः प्रमाणित, वादी का केवल खसरा नम्बर 28/1, रकबा 5.35 एकड़ भूमि पर स्वत्व है' , वादप्रश्न क्रमांक-2 'प्रमाणित नहीं' एवं वादप्रश्न क्रमांक-3 'विवादित भूमि के खसरा नम्बर 18 रकबा 9.55 एकड़ भूमि के संबंध में वादी का स्वत्व का वाद समयावधि के बाह्य है' के रूप में निराकृत किये जाते हैं।



**सहायता एवं व्यय**

17— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी ने अपना वाद अंशतः प्रमाणित किया है। अतएव वाद में निम्नानुसार आज़्ञप्ति पारित की जाती है :—

(1) वादी को मौजा छपला, प.ह.नं. 46, रा.नि.मं. एवं तहसील बिरसा में स्थित खसरा नम्बर 28/1 रकबा 5.35 एकड़ भूमि पर स्वत्व प्राप्त है।

(2) वादी का मौजा छपला, प.ह.नं. 46, रा.नि.मं. एवं तहसील बिरसा में स्थित खसरा नम्बर 18 रकबा 9.55 एकड़ भूमि पर स्वत्व प्राप्त होने एवं संशोधन क्रमांक—5, दिनांक—10.06.1993 उस पर बंधनकारी न होने का दावा निरस्त किया जाता है।

(3) उभयपक्ष अपना-अपना वादव्यय वहन करेंगे तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

उपरोक्तानुसार आज़्ञप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

**(सिराज अली)**

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,  
बैहर

**(सिराज अली)**

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,  
बैहर